हाजीपुर में जिला युवा उत्सव का आगाज

हाजीपुर (आससे)। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देशन में दो दिवसीय जिला युवा उत्सव 2026-27 का शुभारंभ गुरुवार को आम्रपाली



प्रशिक्षण केंद्र, सुभाष चौक में हुआ। कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार और जिला प्रशासन, वैशाली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव में 15 से 29 वर्ष के युवा कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसका उद्देश्य युवाओं की रचनात्मक क्षमता को निखारना, स्थानीय लोककला को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच प्रदान करना है। उत्सव के पहले दिन गुरुवार को समूह लोकनृत्य, चित्रकला और कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। दूसरे दिन शुक्रवार को नुक्कड़ नाटक और सामूहिक लोकगायन होगा। समापन पर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

समूह लोकनृत्य और लोकगायन के माध्यम से प्रतिभागी बिहार की समृद्ध लोक परंपरा को प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि चित्रकला और कविता में युवा अपनी कलात्मक व साहित्यिक अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए सामाजिक विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया जाएगा।

प्रतियोगिताओं के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ निर्णायक दल गठित किया गया है। लोकनृत्य के लिए मुकेश कुमार, डॉ. त्रिवा वर्मा और साधना श्रीवास्तव, चित्रकला के लिए वरुण कुमार और राजू कुमार, कविता लेखन के लिए डॉ. चंद्रशेखर और डॉ. अनिशा, नुक्कड़ नाटक के लिए क्षितिज प्रकाश, मुकेश कुमार और राजीव कुमार तथा लोकगायन के लिए राजीव कुमार, डॉ. त्रिवा वर्मा और शालिनी शर्मा को निर्णायक बनाया गया है।

डीएम वर्षा सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने और कला-संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवा उत्सव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे युवा अपनी जड़ों से जुड़कर जिले की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेंगे।

हाजीपुर शवदाह स्थल पर निगरानी, अधिक वसूली पर सख्ती

हाजीपुर (आससे)। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर जिले में शवदाह व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है। गुरुवार को डीपीओ नमामि गंगे ने स्थानीय शवदाह स्थल का निरीक्षण कर अग्नि और अंतिम संस्कार सामग्री की बिक्री दरों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मलिक समुदाय के सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि शोकाकुल परिजनों से निर्धारित राशि से अधिक वसूली किसी भी हाल में न की जाए। सामग्री की बिक्री भी तय दर पर ही की जाए, ताकि परिजनों को आर्थिक परेशानी न हो। जिला प्रशासन ने कहा कि अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील स्थिति में पारदर्शिता और सुविधा प्राथमिकता है। निर्धारित दरों के अनुपालन के लिए निगरानी आगे भी जारी रहेगी।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सोनपुर

Email Id-eercdsonepur@gmail.com

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सोनपुर द्वारा कार्यालय उपयोग एवं क्षेत्राधीन पथों में चल रहे कार्यो के निरीक्षण/पर्यवेक्षण कार्य एवं अन्य सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर चारपहिया वाहन (चालक एवं सभी रख–रखाव पर व्यय सहित) की आवश्यकता हेतु मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन निम्नांकित विवरणी के अनुसार आमंत्रित किया जाता है :–

क्र0	कार्यालय कानाम	वाहनकाप्रकार (वातानुकूलित)	वाहन की संख्या
Group-1	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सोनपुर	स्कॉर्पियों-N/इनोवा CRYSTA/मराजों	01 अदद

1. कोटेशन के लिए इच्छुक एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में कोटेशन दिनांक 05.11.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सोनपुर के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। प्राप्त कोटेशन उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी या प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। यदि कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित नहीं रहते है तो भी निर्धारित समय पर कोटेशन खोला जाएगा।

PR- 014379 (R C D) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, सोनपुर

बिहार सरकार

कार्यालय–भूमि सुधार उप–समाहर्ता, गोगरी।

आम सूचना

एतत् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत निम्नांकित वाहनों के संबंध में इस न्यायालय में अधिहरण वाद संचालित है। इन वाहनों के स्वामी द्वारा न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी जा रही है।

अतः इस सूचना के माध्यम से इन वाहनों के स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा प्रस्तुत करें। अन्यथा एकपक्षीय निर्णय लेते हुए वाहन का अधिहरण कर लिया जाऐगा।

क्र0	उत्पाद अधिहरण का वाद संख्या	थाना कांड संख्या	जप्त वाहन संख्या	वाहन मालिक का नाम एवं पता	वाद की सुनवाई की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	10/2024–25	बेलदौर थाना कांड सं0–52/2024	पलसर मोटरसाईकिल, रजिस्ट्रेशन नं0–BR34S-3881, चेचिस नं0–MD2B64BXONRL2475	–	06.11.2026

PR- 014392 (Excise) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

भूमि सुधार उप–समाहर्ता,
गोगरी।

जिला बाल संरक्षण इकाई, शेखपुरा

(समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना)

(बाल कल्याण समिति, शेखपुरा के आदेशानुसार भुला–भटका बालक की सूचना)



1. काल्पनिक नाम : मो0 निहाल
2. उम्र/जन्म तिथि : 13 वर्ष (लगभग)
3. रंग : काला/सांवला
4. प्राप्ति तिथि : 13.10.2026
5. प्राप्ति स्थल : अरियरी थानान्तगर्त, कसार रोड में घुमते हुए।
6. पिता/माता : मो0 जुबैर
7. पता : ग्राम–मटोखर, जिला–शेखपुरा (बिहार)

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त वर्णित बच्चे के माता पिता/अभिभवाक/परिजन बच्चे के विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 60 दिनों के अन्दर साक्ष्य के साथ अपना दावा, **बृहद आश्रय गृह (बालक) युनिट–01 नवादा, एवं बाल कल्याण समिति, शेखपुरा** (पता–स्टेशन रोड, ट्रेनिंग स्कूल के पास **7857010853, 8210396627, 7004782152**) के समक्ष प्रस्तुत करें।

नोट :– उपरोक्त वर्णित समयावधि के उपरान्त कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं बच्चे को दत्तकग्रहण दिशा–निर्देश, 2017 के प्रावधानुसार उपयुक्त दंपति को गोद दे दिया जायेगा।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
शेखपुरा

PR- 014413 (B & C) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

जिला बाल संरक्षण इकाई, सुपौल

(समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना)

बाल कल्याण समिति, सुपौल के आदेशानुसार

गुमशुदा बच्चों की सूचना



नाम:– राज कुमार, **(Raj Kumar) (काल्पनिक नाम)**
उम्र:– 07 दिन (लगभग),
रिंग:– साफ
प्राप्ति तिथि:– 16.10.2026 0
प्राप्ति स्थल:– रेफरल अस्पताल, राघोपुर, जिला–सुपौल।
लिंग:– पुरूष
माता का नाम:–ना मालुम, पिता का नाम:–ना मालूम
पता:– ना मालुम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बच्चे के पिता/अभिभावक/परिजन, सूचना प्रकाशन तिथि से 60 दिनों के अन्दर साक्ष्य के साथ अपना दावा बाल कल्याण समिति, सुपौल (पता– वृहद आश्रय गृह, चैनसिंहपट्टी, वार्ड नं0–03, सुपौल बिहार पिन–852131, मोबाइल नम्बर–9470291900) एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, सुपौल (पता–पिपरा रोड, यादव कॉम्पलेक्स, वार्ड नं0–04, सुपौल, बिहार, पिन–852131, संपर्क नम्बर–06473–357072) के समक्ष प्रस्तुत करें।

नोटः– उपरोक्त वर्णित समयावधि के उपरांत कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं बच्चे को दत्तकग्रहण विनियमन, 2022 के प्रावधानुसार उपयुक्त दंपत्ति को गोद दे दिया जाएगा।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
सुपौल

PR- 014304 (B & C) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, बांका
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–03/2026–27

(1) विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल,बांका।
(2)निविदा आमंत्रित करने की तिथि :– 23.10.2026
(3) परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :– 05.11.2026 को 1:00 बजे अपराह्न तक।
(4) निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– 06.11.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
(5) निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– 06.11.2026 को 3:30 बजे अपराह्न ।
(6) निविदा कागजात् की बिकी का स्थान :– (क) अधीक्षण अभियंता, का कार्यालय भवन, अंचल,भागलपुर । (ख) कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय भवन प्रमंडल, बांका। (ग) संबंधित सहायक अभियंता, का कार्यालय भवन प्रमंडल, बांका।
(7) निविदा प्राप्ति /खोलने का स्थान :– कमांक 6 के अनुसार।
(8) कार्य विवरणी :–

कम सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 मे) (केवल O-GRAS माध्यम से)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Repair and painting work of the Statistics office Building Located in the collectorate Campus Banka.	343700.00	6900.00	750.00	01 माह
2	Repair and painting work of the District Public Grievance Redressal office building banka in the collectorate Campus Banka.	218800.00	4500.00	500.00	20 दिन
3	Repair and painting work of the Minority Welfare office Building situated in the collectorate Campus Banka.	449900.00	9000.00	750.00	01 माह
4	Repair work of the Boundry wall of the Press club building Banka.	406000.00	8200.00	750.00	01 माह
5	Repair and painting work of the District Planning office situated in the collectorate Campus Banka.	317000.00	6400.00	750.00	01 माह
6	Repairing and painting work of outer portion of D type Block-A situated in the Sub division campus Banka under Banka district for the year 2026-27.	253900.00	5100.00	750.00	01 माह
7	Repairing and painting work of outer portion of D type Block-B situated in the Sub division campus Banka under Banka district for the year 2026-27.	254700.00	5100.00	750.00	01 माह
8	Repairing and painting work of outer portion of D type Block-C situated in the Subdivision campus Banka under Banka district for the year 2026-27.	275600.00	5600.00	750.00	01 माह
9	Renovation of Guard Room at Circuit House banka.	379800.00	7600.00	750.00	01 माह
10	Renovation of press club Banka District Banka for the year 2026-27	785400.00	15800.00	1250.00	01 माह

(9) यह निविदा आमंत्रण सूचना वेबसाईट– **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर देखा जा सकता हैं।

PR. No. 014266 (BCD) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, बांका

कैदी को 16 दिन अवैध रूप से जेल में रखना पड़ा महंगा, उपाधीक्षक की वेतनवृद्धि रुकी

हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने की कारवाई, हाजीपुर मंडल कारा के तत्कालीन उपाधीक्षक भजन दास को दंड अधिरोपित

हाजीपुर (आससे)। हाजीपुर मंडल कारा के तत्कालीन उपाधीक्षक और वर्तमान में बगहा उपकारा में पदस्थापित भजन दास पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एक बंदी को बिना अभिरक्षा अधिपत्र के 16 दिनों तक अवैध रूप से जेल में रखने के मामले में दोषी पाए जाने पर उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है।

मामला बंदी रामनिवास गुप्ता से जुड़ा है। आरोप है कि जमानत और रिहाई का आदेश होने के बावजूद लापरवाही बरतते हुए उसे 21 सितंबर 2024 से 7 अक्टूबर 2024 तक अवैध रूप से जेल में बंद रखा गया। इस पर पटना उच्च न्यायालय ने ह्रह्.ह्र.छ्र.ष्ट. ह्वश.-2105/2024 में सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई और पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। आदेश के आलोक में भजन दास से 50 हजार रुपये की वसूली कर पीड़ित को भुगतान किया जा चुका है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले उन्हें निलंबित किया गया था। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने पर उनका स्पष्टीकरण अस्वीकार कर दिया गया। कारा महानिदेशक के अनुमोदन के बाद गृह विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के तहत दंड अधिरोपित किया है।

एनएच पर राहगीरों को नशा खिलाकर लूटने वाला धराया

हाजीपुर (आससे)। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्रिय नशा खुरानी गिरोह के खिलाफ वैशाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। भगवानपुर थाने की पुलिस ने बुधवार की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को दबोचा है। पुलिस के अनुसार, एनएच स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास गिरोह के सदस्यों ने एक ट्रक पर सवार तीन व्यक्तियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने का प्रयास किया था। सूचना मिलते ही भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। बेहोश हुए तीनों पीड़ितों को तत्काल भगवानपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मनोज कुमार चौधरी, पिता राजकुमार चौधरी, ग्राम-थाना मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि गिरोह सड़क पर चलने वाले वाहनों को रोककर नशा खिलाता है और फिर लूटपाट करता है।

पोझिया आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य शिविर व जन संवाद आयोजित

हाजीपुर (आससे)। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को लालगंज प्रखंड की राज बसंता जहानाबाद पंचायत स्थित पोझिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य शिविर एवं जन संवाद का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुजीत कुमार के मार्गदर्शन में जन आरोग्य समिति के तत्वावधान में हुआ। बीडीओ सुजीत कुमार ने कहा कि सभी विभागों के आपसी समन्वय और जनसहभागिता से पंचायत स्तर पर हर ग्रामीण को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना प्रखंड प्रशासन की प्राथमिकता है।

शिविर में ग्रामीणों की निशुल्क जांच कर दवाएं वितरित की गईं तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, उच्च रक्तचाप व मधुमेह की जांच, मानसिक स्वास्थ्य और टेलीपरामर्श सेवाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और जीविका की साझा पहल जीविका आरोग्य दिवस का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक गुरुवार को जीविका दीदियों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। साथ ही आईसीडीएस और जीविका द्वारा पोषण प्रदर्शनी भी लगाई गई।

जिला सामुदायिक उत्प्रेरक निभा रानी सिन्हा ने कहा कि आरोग्य मंदिरों से ग्रामीणों को गांव में ही जांच, दवा और टेलीपरामर्श की सुविधा मिल रही है। जीविका आरोग्य दिवस से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जिला योजना समन्वयक



विकास कुमार ने स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया।

जन संवाद में ग्रामीणों ने दवा उपलब्धता, नियमित जांच और रेफरल सेवाओं पर सुझाव दिए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जया ने कहा कि संवाद का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। मुखिया गणेश राय ने कहा कि जनभागीदारी से ही स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी बनती हैं।

मौके पर डीपीसी विकास कुमार, डीसीएम निभा रानी सिन्हा, डॉ. जया, मुखिया गणेश राय सहित पंचायती राज, आईसीडीएस, जीविका व जपाइगो के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य टीम मौजूद रही।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, मोतिहारी।

केवल ई0 निविदा पद्धति के अनुसार बेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर
अल्पकालीन पुनः ई0 निविदा आमंत्रण सूचना (S.B.D System)
ई0 पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0 – 17/2026–27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मोतिहारी।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :– दिनांक– 22.10.2026
3. निविदा डाउनलोड एवं अपलोड की तिथि एवं समय :– दिनांक– 04.11.2026 से 30.11.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक।
4. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक– 01.12.2026 को 03:30 बजे अपराहन्।
5. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक– 15.12.2026 को 04.00 बजे अपराहन्।
6. प्री–विड मीटींग की तिथि समय एवं स्थान :– (i) दिनांक–20/11/2026 को 03:00 बजे अपराहन् मुख्य अभियंता (ञ0) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में। (ii) दिनांक–17/11/2026 को 03:00 बजे अपराहन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी के कार्यालय कक्ष में।
7. निविदा पत्र बिक्री का स्थान :– बेबसाईट (https:/eproc 2.bihar.gov.in) पर।
8. निविदा बैद्यता की अवधि :– 120 दिन।
9. कार्य का विवरणी :–

क0 सं0	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	निविदा कागजात का मुल्य (अप्रत्यपणीय) (रूपये)	Bid processing Charge+ Service Tax	कार्य समाप्ति की अवधि
1	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोटवा प्रखण्ड के ग्राम करिया मौजा कररिया, ग्राम बड़हरवाकला पश्चिम मौजा बड़हरवाकला एवं ग्राम भोपतपुर उत्तरी मौजा भोपतपुर में कुल 03 अदद् पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य (विद्युतीकरण सहित)।	7,54,89,091.00	15,90,800.00	10,000.00	As per website	12 माह।

11. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट (https:/eproc 2.bihar.gov.in/EPSV2web/) पर निष्पादित किया जाएगा। ई–निविदा से प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई– प्रोक्युरमेन्ट हेल्पडेस्क, Toll Free Number: 18005726571, Email ID: eproc2support@bihar.gov.in. working Hours : 8Am to 7PM (all days in week except few selected state holidays) से प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

PR- 014241 (B C D) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, मोतिहारी।

हाजीपुर स्टेशन रोड पर हथियार के साथ दो युवक धराये

हाजीपुर (आससे)। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वैशाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गरुड़ा मोटरसाइकिल गश्ती दल ने स्टेशन रोड पर कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध युवकों को अवैध हथियार के साथ धर दबोचा। एसडीपीओ सदर-1 सुबोध कुमार ने बताया कि एसपी वैशाली के निर्देश पर गठित गरुड़ा टीम बुधवार को सदर थाना क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान नेशनल पेट्रोल पंप के पास दो युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते दिखे। रोककर तलाशी ली गई तो एक के पास से देसी पिस्टल मिली। गिरफ्तार युवकों की पहचान बिशनपुर बलाधारी वार्ड-01 निवासी रंजन कुमार और नीतीश कुमार के रूप में हुई है। रंजन के पास से पिस्टल के अलावा दो मोबाइल फोन भी मिले हैं। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे इलाके में छिनतई की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत सदर थाने में केस दर्ज कर हथियार जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

सेवा संकल्प अभियान में वैशाली अव्वल, शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल

हाजीपुर (आससे)। सेवा संकल्प एवं कार्यकल्प अभियान के अंतर्गत वैशाली जिले के स्वास्थ्य विभाग ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। वैशाली स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक के स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्यों में जिले ने शत-प्रतिशत प्रगति दर्ज की है।

प्रगति प्रतिवेदन के मुताबिक जिले में कुल 413 स्वास्थ्य संस्थान हैं। इनमें से स्वास्थ्य मद से 401 कार्यों को चिन्हित किया गया था। गौरतलब है कि चिन्हित सभी 401 कार्यों को तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जो शत-प्रतिशत है। इसी प्रकार सभी 401 कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है।

धरातल पर कार्यों की स्थिति भी काफी संतोषजनक है। स्वीकृत 401 कार्यों में से 161 कार्यों को पूरा कर लिया गया है, जबकि 240 कार्यों पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। इस तरह कुल 401 कार्यों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का शत-प्रतिशत है। इसके अलावा अन्य मद तथा विकसित भारत-गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 25 कार्यों को भी चिन्हित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी चिन्हित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। शत-प्रतिशत स्वीकृति मिलने से कार्यों में तेजी आई है और शेष बचे कार्यों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इससे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार होने की उम्मीद है।

बिहार सरकार

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा– 11(1) के अधीन)

चूंकि समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–कन्हौली बलिरामपुर(चादर नं०–1), थाना नं०– 326, अंचल–पारू, जिला–मुजफ्फरपुर में कुल–0.8581 एकड़ यानि 0.3472 है० भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना–मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गंडक नदी पर फतेहाबाद (पारू ब्लॉक) से चंचलिया (तरैया ब्लॉक, सारण) तक उच्चस्तरीय पी.एस.सी. बॉक्स सेल सुपरस्ट्रक्चर मेन पुल (स्पेन 38×60मी०) एवं पहुँच पथ में 3 अदद् (5×30मी०) पी.एस.सी. सुपरस्ट्रक्चर पुल निर्माण कार्य अपेक्षित है, इसलिए राज्य, एस०आई०ए० (SIA) इकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार संक्षेप में है कि:– यह परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इसके निमित्त भू–अर्जन करने का सामाजिक मूल्य कम है तथा सामाजिक लाभ ज्यादा है। भू–अर्जन के कारण कुल xx परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गये है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–कन्हौली बलिरामपुर(चादर नं०–1), थाना नं०–326, अंचल–पारू, जिला–मुजफ्फरपुर में कुल–0.8581 एकड़ यानि 0.3472 है० मानक माप का भू–खंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, का अर्जन किया जाता है:–

क्र०	खाता संख्या	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हित्बद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू–खंड संख्या) उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99	290	सरकारी	दो फसला (भीठ)	0.4000	अनावाद बिहार सरकार	अंश खेसरा 290	अंश खेसरा 290	284	सोहागपुर
2	38	284	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.2625	पंचम सिंह पिता–वसगीत सिंह वो मु० बनारस कुअँर पति–बनारसी सिंह वो रामसुरत सिंह पिता–ब्रहमदेव सिंह, सा०–मद० छपरा	अंश खेसरा 284	अंश खेसरा 284	285 एवं अंश खेसरा 284	290
3	20	285	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0566	जमुना सिंह पिता–जगधारी सिंह वो सरजू सिंह वो दुर्गा सिंह पिता–सीताराम सिंह वो रघुनाथ सिंह पिता–विध्या सिंह, सा०– फतेहाबाद	279, 280	अंश खेसरा 285	फतेहाबाद	-
4	30	279	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0670	मु० दुखित कुअँर पति–राजवंशी सिंह सा०– फतेहाबाद	अंश खेसरा 279	285	फतेहा बाद	280
5	68	280	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0640	मु० रामवति कुअँर पति–जोखन राय एवं पुनीत साह पिता– रकत साह सा०– फतेहाबाद	अंश खेसरा 280	285	279	281
6	68	281	रैयती	दो फसला (भीठ)	0.0080	मु० रामवति कुअँर पति–जोखन राय एवं पुनीत साह पिता– रकत साह सा०– फतेहाबाद	281	284	280	284
				कुल रकवा–	0.8581					

(शून्य दशमलव आठ पाँच आठ एक एकड़)

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013),की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार ,मुजफ्फरपुर उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए,अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्वक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नही करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हित्बद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 014401 (District) 2026-27

सुरक्षित जीवन अपनाओ, अपनी नियमित एच.आई.वी. जाँच कराओ।

समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार,
मुजफ्फरपुर